

मध्य प्रदेश शासन
लाक़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-11/2012/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,


विषय:- विरायु मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, भोपाल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (च) के अन्तर्गत विरायु मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल भोपाल को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच / उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क.	उपचार/जांच	दर
1	Angiography	8,500/- Angiography including coronary, carotid, renal, aortogram peripheral (inclusive of investigation)
2	Angioplasty	50,000/- without stent
3	By pass surgery/CABG	1,00,000/- (including coronary angiography)
4	Angioplasty with stent	72,000/- coronary Angioplasty with one stent (non drug eluting)
		72,000/- + 25,000/- = 97,000/- For second stent Extra Rs.25000/-
5	ASD/VSD	80,000/- ASD Surgical or device closure
		90,000/- VSD closure Surgical or device closure
6	Single Valve Replacement	1,30,000/-
7	Double Valve Replacement	1,65,000/-

- उक्त चिकित्सालय में उपर्युक्त कृषक / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी । यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसके परिवार व आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा ।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा / पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा ।
- 9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी की जांच की जावेगी ।
- 10- संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
- 11- बड़ी शल्य क्रियाओं जैसे कि - ओपन हार्ट सर्जरी इकाई हेतु स्वयं का ब्लड बैंक भी संस्थान में होना अनिवार्य है ।
- 3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।



मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(राजेश जैन) 12.9.12
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-9/2012/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

प्रतिर्लिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की और वित्त

विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।


- 2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।
- 3- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ / लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
- 4- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।
- 5- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल ।
- 6- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र. ।
- 7- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।
- 8- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. ।
- 9- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।
- 10- संचालक, चिरायु मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल भोपाल ।
- 11-

उप सचिव 12.9.12
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-01/11/सत्रह/मेडि-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/



- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषय:- चिरायु मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल भोपाल, को शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत।

—000—

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-01/11/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 12/01/2011 के अनुक्रम में चिरायु मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल भोपाल को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु दिनांक 12/01/2012 तक दी गई मान्यता अवधि में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-14/2010/17/मेडि-3, दिनांक 02.02.2012 में उल्लेखित जांच/उपचार हेतु पुनर्निर्धारित की गई दरों के अनुसार दो वर्ष अर्थात् दिनांक 12/01/2014 तक के लिये वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/-यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

जे.एम.ए.

(राजेश जैन)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

पृ.क्रमांक एफ 9-03/2008/सत्रह/मेडि-3

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1/2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त

विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

- 2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।
 - 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
 - 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
 - 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल।
 - 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.भोपाल।
 - 7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.।
 - 8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
 - 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
 - 10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
 - 11- संचालक, चिरायु मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल भोपाल।
- की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

12.9.2012

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्र. एफ 9-20/2012/ सत्रह/ मेडि-3

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- महामृत्युंजय हास्पिटल प्रा.लि. अजड़ नाका, खंडवा बड़ोदा रोड़, बड़वानी को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (घ) के अन्तर्गत महामृत्युंजय हास्पिटल प्रा.लि. अजड़ नाका, खंडवा बड़ोदा रोड़, बड़वानी को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र.	उपचार/जांच	दर
1	टोटल हिप रिप्लेसमेंट	81,000/-
2	टोटल नी रिप्लेसमेंट	99,000/-
3	पारसीयल हिप रिप्लेसमेंट	50,000/-

2- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की है, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितांत आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।

निरंतर.....2

- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर दी जावेगी । यदि कोई भ्रष्टाचारी / वर्गवारी या उसका परिवार का अश्रित सार्वजनिक से महंगी चिकित्सा-परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष गरीबों का भार वह स्वयं वहन करेगा ।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा ।
- 9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी की जांव की जावेगी ।
- 10-संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
- 3/-यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।



मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाग से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन) 12.9.12
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

पृ.क्रमांक एफ 9-20/2012/सत्रह/मेडि-3

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित ।

3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।

4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।

6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल ।

7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर म.प्र. ।

8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।

9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. ।

10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।

11- संचालक, महामृत्युंजय हास्पिटल प्रा.लि. अजड़ नाका, खंडवा बड़ोदा रोड़, बड़वानी ।

उप सचिव 12.9.12

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-21/2012/सत्रह/मेडि-3

भाषण दिनांक 12/09/2012

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, ग.प्र.,
- 5- समस्त रांभागीय आयुक्त, ग.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- मोहनलाल हरगोविंददास पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल, जबलपुर को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शाराकीय गान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिवर्धन नियम 1958 के नियम -2 (ब) के अन्तर्गत मोहनलाल हरगोविंददास पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल, जबलपुर को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये शर्तों पर गान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र.	उपचार/जांच	दर
1.	न्यूरो सर्जरी	60,000/-

2- यह गान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-


- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र.गोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- गान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शाराकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनिमितता पाये जाने पर गान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के बिना रद्द की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि संश्लेषण सुविधायें उपयुक्त स्तर की है, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थपना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक रागिति करेगी, जिससे चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।
- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षा करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।
- 9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर गान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी की जांच की जावेगी।

निरन्तर.....2

//2//

10-संस्थान को गारुज होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

3/-यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तत्त्वाम्य में जारी की गई है ।



मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन) 12.9.12

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

पृ.क्रमांक एफ 9-21/2012/सत्रह/गेडि-3

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट) 1/2 म.प्र.गवालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित ।

3- आयुक्ता, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।

4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल ।

6- संयुक्त संचालक, (एग.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल ।

7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर म.प्र. ।

8- समस्त संगामीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।

9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.

10- लेखा श.आ.मंत्रालय, भोपाल ।

11- संचालक, मोहनलाल हरगोविंददास पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल, 440/1, राउट टाउन, जबलपुर ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अतिरिक्त (MR)

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. १७/२०१२/४४४/मेडि-

भोपाल, दिनांक १२/०९/२०१२

प्रति,

- १- शासन के समस्त विभाग,
- २- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- ३- समस्त विभागाध्यक्ष,
- ४- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- ५- समस्त सांभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- ६- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- चोइथराम नैत्रालय, इन्दौर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम १९५८ के नियम -२ (घ) के अन्तर्गत चोइथराम नैत्रालय, इन्दौर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र.	उपचार/जांच	दर
१	Perimetry	१००/-
२	Specular	१००/-
३	Topography	२५०/-
४	Pachymetry	१००/- (Each eye)


२- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- १- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह बत्ती ७ तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ में प्रमोपाल को भेजी जावेगी।
- २- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- ३- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- ४- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- ५- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की हैं, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- ६- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।
- ७- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
- ८- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।
- ९- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उही दरों पर रोगी की जांच की जावेगी।

निरन्तर.....२

10-संस्थान को जमिंदार होना पक्का कर देना अनिवार्य होगा।

11-स्वायत्त वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।



मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार.

(राजेश जैन)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

पृ.क्रमांक एफ 9-12/2012/सत्र/मेडि-3

प्रतिलिपि: महासंचालक (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1/2 म.प्र.पालियर की ओर वित्त

विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।

3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।

4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।

5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल।

6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।

7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर म.प्र.।

8- रागरत रामांगीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।

9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।

10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।

11- संचालक, चोइथराम नैत्रालय, इन्दौर

(राजेश जैन)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Devt (MR)

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-19/2012/सत्रह/मेडि-3
प्रति,

भा.पे.लि.दिनांक 12/09/2012

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- एल.बी.एस. अस्पताल, भोपाल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (घ) के अन्तर्गत एल.बी.एस. अस्पताल, भोपाल को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र.	उपचार/जांच	दर
1	ECG(12 lead)	100/-
2	ECHO with Doppler	600/-
3	TMT.	600/-
4	coronary Angiography (Ionic Contrast)	8,500/- Angiography including Coronary, carotid, renal, aortogram peripheral (inclusive of investigation)
5	coronary Angioplasty	50,000/- with out Stent
6	Single Valve Replacement	50,000/- + cost of valve - maximum rupees, 50,000/-
7	ASD, VSD, PDA repair	80,000/- ASD Surgical or device closure 90,000/- VSD closure Surgical or device closure
8	By Pass Surgery CABG	1,00,000/- (including Coronary Angiography)

निरंतर.....2

5	Complex Congenital Heart Disease e.g. Double outlet right ventricle, Pulmonary atresia, For total correction of the defect with special conduit, Atrial switch, sennings procedure Bentalls procedure	25,000/-
10	Pace Maker Implantation Single Chamber	55,000/- including CE approved pacemaker for FDA approval 65,000/-
	Dual Chamber	

2- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की हैं, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।
- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी। यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।
- 9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी की जांच की जावेगी।

निरंतर.....3

10-संस्थान का नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

11-बड़ी शल्य क्रियाओं जैसे कि - ओपन हार्ट सर्जरी इकाई हेतु स्वयं का ब्लड बैंक भी संस्थान में होना अनिवार्य है ।

3/-यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।



मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

पृ.क्रमांक एफ 9-19/2012/सत्रह/मेडि-3

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 /2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।

3- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

4- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल ।

5- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल ।

6- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.।

7- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।

8- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।

9- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।

10- संचालक, एल.बी.एस. अस्पताल, भोपाल ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Dr (MR)

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एक 23/2012/सह/मै/3

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त सांभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:- सी.एच.एल. हास्पिटल, इन्दौर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (घ) के अन्तर्गत सी.एच.एल. हास्पिटल, इन्दौर को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र.	उपचार/जांच	दर
1	टोटल हिप रिप्लेसमेंट	81,000/-
2	टोटल नी रिप्लेसमेंट	99,000/-
3	टोटल ऐल्बो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट	90,000/-
4	टोटल शोल्डर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट	94,000/-
5	आंशिक हिप रिप्लेसमेंट	50,000/-

2- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधाएँ उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ न उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधाएँ उपयुक्त स्तर की हैं, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पत्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसल्टेंट को दिखाना होगा। कंसल्टेंट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक राशि में करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।

निरंतर.....2

- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी । यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसका परिवार का अश्विक्त सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा ।

8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा ।

9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी की जांच की जावेगी ।

10- संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जांचक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई राहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।



मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुरार

(राजेश जैन)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9-23/2012/सत्रह/भेडि-3

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिराज्य दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जांचक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित ।

3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।

4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।

6- संयुक्त संचालक, (एग.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल ।

7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर म.प्र. ।

8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।

9- रागरत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. ।

10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।

11- संचालक, सी.एच.एल. हॉस्पिटल, इन्दौर

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

D-2(MR)

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-10/3/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

प्रातः,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषय:- सी.एच.एल.हॉस्पिटल इन्दौर को शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत।

—000—

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-10/04/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 08/08/2010 एवं 19/01/2011 के अनुक्रम में सी.एच.एल.हॉस्पिटल इन्दौर को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु दिनांक 26/11/2011 तक दी गई मान्यता अवधि वृद्धि में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-14/2010/17/मेडि-3, दिनांक 02.02.2012 में उल्लेखित जांच/उपचार हेतु पुर्ननिर्धारित की गई दरों के अनुसार दो वर्ष अर्थात् दिनांक 26/11/2013 तक के लिये वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/-यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Dir (MR)

पृ.क्रमांक एफ 9-21/2010/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त

विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

2- राशि, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।

3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।

4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।

5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल।

6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.भोपाल।

7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर म.प्र.।

8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.।

9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।

10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।

11- संचालक, सी.एच.एल.हॉस्पिटल इन्दौर।

की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

12.9.2012

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-2/2011/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर म.प्र.
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषय:- सी.एच.एल. मेडिकल सेंटर, नानाखेड़ा, उज्जैन को शासकीय सेवाओं तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत।

— 100 —

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-2/2011/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 19/01/2011 के अनुक्रम में सी.एच.एल. मेडिकल सेंटर, नानाखेड़ा, उज्जैन को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु दिनांक 19/01/2012 तक दी गई मान्यता अवधि में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-14/2010/17/मेडि-3, दिनांक 02.02.2012 में उल्लेखित जांच/उपचार हेतु पुर्ननिर्धारित की गई दसों के अनुसार दो वर्ष अर्थात् दिनांक 19/01/2014 तक के लिये वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

पृ. क्रमांक एफ 9-11/2010/सत्रह/मेडि-3

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आउट) 1/2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में प्रेषित।

2- सचिव म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अप्रेषित।

3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।

4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।

5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल।

6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।

7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर म.प्र.।

8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।

9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।

10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।

11- संचालक, सी.एच.एल. मेडिकल सेंटर, नानाखेड़ा, उज्जैन (म.प्र.)

की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

12.9.2012

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-16/2012/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

प्रति,

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजारव मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.,
- 5- समस्त संगीगीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय- गोकुलदास हॉस्पिटल, इन्दौर को शासकीय सेवा तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शाराकीय मान्यता।

.....0000000.....

राज्य शासन एतद्वारा चिकित्सा परियोजना नियम 1958 के नियम -2 (च) के अन्तर्गत गोकुलदास हॉस्पिटल, इन्दौर को शाराकीय सेवाओं तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र.	उपचार/जांच	दर
1	perinetry	100/-
2	pachynetry	220/-

— यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाएँ म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।
- 2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- 3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- जानकारी समय पर न भेजने, शाराकीय सेवाओं तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/गानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 5- संचालक चिकित्सा सेवाएँ व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की हैं, संस्थान की जांच कर सकेंगे।
- 6- जिस शासकीय सेवा या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पत्रता है, उस शाराकीय सेवा को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे।

निरंतर.....2

- 7- उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जाएगी। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसके परिवार में आश्रित व्यक्ति इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।
- 8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।
- 9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी की जांच की जावेगी।
- 10- संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जाचक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।



मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-16/2012/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 / 2 म.प्र. ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

- 2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जाचक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।
- 3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
- 5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
- 6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।
- 7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर म.प्र.।
- 8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
- 10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
- 11- संचालक, गोकुलदास हास्पिटल, इन्दौर

उप-सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Dist(MR)

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-02/08/सत्रह/मेडि-3
प्रति

- 1- शासन के समस्त विभाग,
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
- 4- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर, म.प्र.
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषय:- गोकुलदास हास्पिटल इन्दौर को शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बाबत।

—000—

राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-02/08/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 02/08/2010 के अनुक्रम में गोकुलदास हास्पिटल इन्दौर को शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु दिनांक 30/11/2011 तक दी गई मान्यता अवधि वृद्धि में इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-14/2010/17/मेडि-3, दिनांक 02.02.2012 में उल्लेखित जांच/उपचार हेतु पुनर्निर्धारित की गई दशों के अनुसार दो वर्ष अर्थात् दिनांक 30/11/2013 तक के लिये वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/-यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 12/09/2012

पृ.क्रमांक एफ 9-21/2010/सत्रह/मेडि-3

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं धकदारी) (आडिट)-1/2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1633/1622/2012/नि/चार, दिनांक 12/09/2012 के संदर्भ में अग्रेषित।

3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।

4- संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।

5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल।

6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.भोपाल।

7- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर म.प्र.।

8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.।

9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।

10- लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।

11- संचालक, गोकुलदास हास्पिटल इन्दौर इन्दौर।

की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

11.9.2012